सं. 22011/5/2013-स्था.(घ)

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

* * *

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली

दिनांक: 9 मई, 2014

कार्यालय ज्ञापन

विषय :- विभागीय पदोन्नति समितियों (डीपीसी) द्वारा अनुसरण की जाने वाली पद्धति - एसीआर/एपीएआर में प्रविष्टियों एवं ग्रेडिंग के मूल्यांकन के संबंध में।

अधोहस्ताक्षरी को इस विभाग के समय-समय पर यथासंशोधित दिनांक 10 अप्रैल, 1989 के का.ज्ञा.सं. 22011/5/86-स्था.घ की ओर ध्यान आकर्षित करने का निदेश हुआ है जिसमें विभागीय पदोन्नति समितियों (डीपीसी) के संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश दिए गए हैं। मौजूदा अनुदेशों एवं विभिन्न अदालती मामलों में माननीय उच्चतम न्यायालयों के निर्णयों के अनुसार विभागीय पदोन्नति समितियों को उनके द्वारा विचार किए जाने वाले अभ्यर्थियों की उपयुक्तता के निष्पक्ष मूल्यांकन के लिए स्वयं अपनी पद्धतियां और कार्यविधियां तैयार करने का पूरा अधिकार प्राप्त है। दिनांक 10 अप्रैल, 1989 के इस का.ज्ञा. के पैरा 6.2.1 में यह व्यवस्था है कि गोपनीय रिपोर्टें (अब एपीएआर) मूल सामग्री हैं जिनके आधार पर प्रत्येक डीपीसी द्वारा मूल्यांकन किया जाता है। सीआर (अब एपीएआर) का मूल्यांकन उचित, न्यायसंगत और निष्पक्ष होना चाहिए।

2. इस विभाग के दिनांक 08 फरवरी, 2002 के का.ज्ञा.सं. 35034/7/97 स्था.(घ) के अनुसार यह आवश्यक है कि डीपीसी पदोन्नति के लिए आंकलित किए जाने वाले कर्मियों का निर्धारण उनके लिए विहित मानक (बेंचमार्क) के संदर्भ में करें और तदनुसार अधिकारियों को 'योग्य' अथवा 'अयोग्य' की श्रेणी में रखे। केवल वे जिन्हें 'योग्य' ठहराया गया हो अर्थात जो डीपीसी द्वारा विहित मानक (बेंचमार्क) को पूरा करते हैं उन्हें फीडर-ग्रेड में उनकी पारस्परिक वरिष्ठता के क्रम में चयन पैनल में शामिल एवं व्यवस्थित किया जाएगा। डीपीसी द्वारा विहित मानक (बेंचमार्क) के अनुसार 'अयोग्य' ठहराए गए अधिकारियों को चयन-पैनल में शामिल नहीं किया जाएगा। डीपीसी द्वारा 'योग्य' ठहराए गए अधिकारियों की पदोन्नति में कोई अधिक्रमण नहीं होता है।

3. इसके अलावा, इस विभाग द्वारा सभी मंत्रालयों/विभागों को समय-समय पर यह सलाह दी गई है कि वे डीपीसी के विचारार्थ प्रस्तावों को रखने से पूर्व इस विभाग के दिनांक 14.05.2009 के का.ज्ञा.सं. 21011/1/2005-स्था.(क)(भाग-II), दिनांक 13.04.2010 के

का.ज्ञा.सं. 21011/1/2010-स्था.क एवं दिनांक 19.05.2011 के का.ज्ञा.सं. 21011/1/2005-स्था.क(भाग-II) में निर्धारित किए गए अनुसार एपीएआर में समाविष्ट प्रतिकूल टिप्पणियों/मानक (बेंचमार्क) से नीचे की ग्रेडिंग पर अभ्यावेदन के अर्द्धन्यायिक तरीके से उचित निपटान के संबंध में बाध्यकारी प्रावधानों के अनुदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करें। इन प्रावधानों को इस विभाग के दिनांक 31 जनवरी, 2014 के का.ज्ञा.सं. 21011/1/2005-स्था.(क)(भाग-III) के तहत दोहराया गया और सभी संवर्ग नियंत्रण प्राधिकारियों, मंत्रालयों/विभागों को यह सलाह दी गई कि वे डीपीसी के विचारार्थ प्रस्ताव भेजने से पूर्व इन प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करें।

4. इस विभाग के संज्ञान में यह लाया गया है कि कुछ मामलों में विभागीय पदोन्नति समितियों ने अधिकारियों की उपयुक्तता का आंकलन करते समय एपीएआर में प्रविष्टियों/ग्रेडिंग के संबंध में किए गए अभ्यावेदनों के निपटान में प्रक्रियात्मक अपेक्षाओं को पूरा नहीं करने के आधार पर 'अयोग्य' के रूप में सिफारिशें की हैं।

5. यह दोहराया जाता है कि संबंधित विभागीय पदोन्नति समितियों से अपने सांविधिक कार्य करते समय यह अपेक्षित है कि वे एपीएआर में समाविष्ट प्रविष्टियों और ग्रेडिंग तथा इनके समक्ष रखे गए अन्य संगत तथ्यपरक तथ्यों के आधार पर अपना मूल्यांकन करते हुए, विहित मानक (बेंचमार्क) के संदर्भ में पदोन्नति हेतु विचार किए जाने वाले अधिकारियों की मैरिट का निर्धारण करे, और तदनुसार अधिकारियों को 'योग्य' अथवा 'अयोग्य' ठहराएं। संगत सामग्री में अन्य बातों के साथ-साथ एपीएआर में प्रविष्टियों/ग्रेडिंग पर सरकारी कर्मचारी के अभ्यावेदन पर सक्षम प्राधिकारी के आदेश शामिल होंगे। उस स्थिति में जब डीपीसी, ऐसे आदेश के स्पष्ट आदेश नहीं होने के आधार पर उसका संज्ञान नहीं लेने का निर्णय करती है तब डीपीसी एसीएआर प्रविष्टियों तथा सरकारी कर्मचारी के अभ्यावेदन सहित अन्य सामग्री के आधार पर अपना मूल्यांकन करेगी। डीपीसी को ऐसे मामले सहित जहां डीपीसी का मूल्यांकन एपीएआर में दी गई ग्रेडिंग (मूल रूप में अथवा सरकारी कर्मचारी द्वारा दिए गए अभ्यावेदन के पश्चात संशोधित) से भिन्न है, न्यायोचित एवं संधारणीय कारण देते हुए अपने मूल्यांकन की पुष्टि करनी चाहिए।

6. सभी मंत्रालयों/विभागों से यह अनुरोध है कि वे इस कार्यालय ज्ञापन का व्यापक परिचालन करें एवं इस विषय पर मौजूदा दिशा-निर्देशों का सावधानीपूर्वक अनुपालन सुनिश्चित करें।

मुक्ता

(मुक्ता गोयल)
निदेशक (ई-I)
दूरभाष : 23092479

सेवा में,

भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग

प्रतिलिपि प्रेषित :

1. राष्ट्रपति सचिवालय, नई दिल्ली ।
2. प्रधान मंत्री कार्यालय, नई दिल्ली ।
3. मंत्रिमंडल सचिवालय, नई दिल्ली ।
4. राज्य सभा/लोक सभा सचिवालय, नई दिल्ली ।
5. महापंजीयक, भारत का उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली।
6. पंजीयक, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण, प्रधान पीठ, नई दिल्ली।
7. भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक, नई दिल्ली ।
8. संघ लोक सेवा आयोग।
9. कर्मचारी चयन आयोग, नई दिल्ली ।
10. कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय के अधीन सभी संबद्ध कार्यालय ।
11. राष्ट्रीय अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग, नई दिल्ली।
12. सचिव, राष्ट्रीय परिषद् (जे.सी.एम.), 13-सी, फिरोजशाह रोड, नई दिल्ली ।
13. स्थापना अनुभाग एवं ए.एस. (10 प्रतियाँ) ।
14. कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के सभी अधिकारी तथा अनुभाग ।
15. एनआईसी (डीओपीटी), इस कार्यालय ज्ञापन को डीओपीटी की वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए।
16. स्थापना (घ) अनुभाग, डीओपीटी (20 प्रतियाँ) ।

(पुष्पेन्द्र कुमार)
अवर सचिव, भारत सरकार